भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4129

मंगलवार, 25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

व्यापार में असंतुलन

4129. श्री राजेश रंजनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या बड़ी कंपनियों की थोक क्रय शक्ति, आक्रामक मूल्य निर्धारण और व्यापक पहुंच के कारण छोटे खुदरा विक्रेताओं को गंभीर नुकसान हो रहा है, जिससे व्यापार में असंतुलन, छोटे व्यवसायों के बंद होने और बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है;

(ख): यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी समस्या के समाधान के लिए कोई योजना या नीति बनाई है; और

(ग): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): उत्पादों का मूल्य निर्धारण और उन पर छूट देना व्यावसायिक निर्णय हैं जो बाजार की शक्तियों द्वारा संचालित होते हैं। हालांकि, किसी प्रभुत्व वाले उद्यम अथवा समूह द्वारा अनुचित अथवा भेदभावपूर्ण मूल्य तय करना (अनुचित रूप से कम मूल्य निर्धारण) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित है। उक्त अधिनियम के तहत स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) गैर-प्रतिस्पर्धी पद्धतियों से संबंधित मामलों पर निर्णय लेता है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी पीड़ित पक्ष द्वारा की गई शिकायत के आधार पर अनुचित रूप से कम मूल्य निर्धारण का विषय शामिल है। जब भी मौजूदा कानूनों की विसंगतियां और उल्लंघन की जानकारी सरकार के संज्ञान में लायी जाती है तो उन पर कार्रवाई की जाती है।

डीपीआईआईटी के 29 मार्च, 2016 को जारी किए गए वर्ष 2016 के प्रेस नोट 3 में ई-कॉमर्स संबंधी एफडीआई के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं। ई-कॉमर्स से संबंधित एफडीआई नीति पर और अधिक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के लिए डीपीआईआईटी द्वारा 26 दिसंबर, 2018 को प्रेस नोट 2 (2018) जारी किया गया था। प्रेस नोट 2 (2018) के खंड (ix) में यह उल्लिखित है कि मार्केटप्लेस उपलब्ध कराने वाली ई-कॉमर्स एंटिटी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं या सेवाओं के बिक्री मूल्य को प्रभावित नहीं करेंगी तथा प्रतिस्पर्धा के समान अवसर बनाए रखेंगी। ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस एंटिटी अथवा किसी अन्य एंटिटी द्वारा विक्रेताओं को निरपेक्ष तथा उचित और भेदभावरहित तरीके से वे सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिनमें ई-कॉमर्स एंटिटी की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष इक्विटी भागीदारी अथवा समान नियंत्रण है। ऐसी सेवाओं में पूर्ति, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, विज्ञापन/विपणन, भुगतान, वित्त व्यवस्था आदि शामिल होंगी, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं होंगी। मार्केटप्लेस एंटिटी की समूह कंपनियों द्वारा खरीदारों को दिया जाने वाला कैश बैक उचित और भेदभावरहित होना चाहिए। इस खंड के प्रयोजन के लिए, किसी विक्रेता को ऐसी शर्तों पर सेवाएं प्रदान करना, जो समान परिस्थितियों में अन्य विक्रेताओं को उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, अनुचित और भेदभावपूर्ण माना जाएगा। एफडीआई विनियमों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन फेमा, 1999 के दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत आता है। आरबीआई फेमा को प्रशासित करता है तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) फेमा के अंतर्गत प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई करने वाला प्राधिकरण है।

सरकार, छोटे खुदरा व्यापारियों और वितरकों के हितों की रक्षा पर फोकस कर रही है। प्रतिस्पर्धा के समान अवसर उपलब्ध कराना तथा बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा गैर-प्रतिस्पर्धी पद्धतियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमों, नियमों और नीतियों के रूप में विभिन्न उपाय किए गए हैं। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अलावा, ई-कॉमर्स क्षेत्र, एक व्यापक विधायी फ्रेमवर्क द्वारा प्रशासित होता है, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007; आयकर अधिनियम, 1961; कंपनी अधिनियम, 2013; प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 आदि जैसे अधिनियम, नियम और नीतियां शामिल हैं।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) की अग्रगामी पहल भी शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल अथवा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान से जुड़े सभी पहलुओं के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है। ओएनडीसी ई-कॉमर्स को अधिक समावेशी बनाता है, जिसमें छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय, विशिष्ट प्लेटफॉर्म केंद्रित नीतियों द्वारा शासित होने की बजाय किसी भी ओएनडीसी अनुकूल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उन्हें नेटवर्क पर खोजे जाने और व्यवसाय करने के अनेक विकल्प उपलब्ध कराता है। यह उन छोटे खुदरा व्यापारियों और वितरकों द्वारा डिजिटल माध्यमों को आसानी से अपनाने को भी प्रोत्साहित करता है, जो वर्तमान में डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं।

*****